कार्यों/सेवाओं के निर्वहन के लिए मानदंड, समय सीमा, शिकायत निवारण की प्रक्रिया (01.05.2025 को अद्यतन) /

Norms for discharge of functions/ Services, time limit,Procedure of redressal of grievance (updated on 01.05.2025)

सेवाएँ प्रदान करने वाले विभिन्न विभागो के नाम / The name of different departments offering their services:

I. पीएमआर विभाग / PMR DEPARTMENT :

(क) ओपीडी, वार्ड एड्मिशन , प्रमुख और लघु ऑपरेशन प्रक्रिया, सयुक्तांग एवं ऋज्वांग विभाग क्लिनिक, केस कॉन्फ्रेंस क्लिनिक, डायबिटिक फुट क्लिनिक, मोटापा क्लिनिक, सीपी क्लिनिक, विकलांगता क्लिनिक, पुनर्वसन प्रबंधन एवं निगरानी के नुस्खे इत्यादि / OPD, Ward admission, major & minor operation procedure, P & O Clinic, Case Conference Clinic, Diabetic Foot Clinic, Obesity Clinic, CP Clinic, Disability Clinic prescription of rehab management & monitoring etc.

(ख) विभिन्न विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना/ Issuance of various disability related certificates.

(ग) जिला एवं उप जिला स्तर पर गैर-सरकारी/सरकारी संगठनों के सहयोग से शिविर आयोजित करना / Camps are organised in collaboration with Non-Government/Government Organisations at District and Sub District Levels.

II. निश्चेतना विभाग / ANAESTHESIA DEPARTMENT:

(क) मरीजों के एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन के फिटनेस हेतु प्री - एनेस्थेटिस्ट जांच करना / Pre-anaesthetist check-up of the patients for fitness for Anaesthesia and Operation.

(ख) एनेस्थेटिस्ट के पर्यवेक्षण एवं देखभाल में शल्यचिकित्सा गृह में जरूरी शल्यक्रिया की जाती हैं / Necessary surgeries are performed in the operating room under the supervision and care of anesthetists.

(ग) मरीजों की ऑपरेशन के बाद की देखभाल / Post-operative care of the patients.

III. रेडियोलॉजी विभाग / RADIOLOGY DEPARTMENT:-

(क) उपचार करने वाले विशेषज्ञों के निर्देशानुसार सभी ओपीडी, आईपीडी रोगियों के एक्स-रे किए जा रहे हैं। आपातकाल और प्रवर नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है। (अपॉइंटमेंट एवं प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म के अनुसार अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर, किया जा रहा था – परंतु, रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त होने के कारण इसे कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है।) / X RAYS, for All OPD, IPD patients are being done as per the instructions of the treating specialist. Priority to Emergency and senior citizen are given. (Ultrasound and Colour Doppler, by appointment, were being done, according to prescription form – However, the same has been suspended for time being as the post of radiologist is vacant)

IV. पैथोलॉजी विभाग / PATHOLOGY DEPARTMENT:

(क) इस विभाग में मरीजों की रक्त एवं अन्य जांच नियमित रूप से की जा रही है / Routine blood investigations and other tests of the patients are being performed in this department.

V. नर्सिंग विभाग / NURSING DEPARTMENT:

(क) मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, मधुमेह और मोटापे से पीड़ित मरीज, उपचार/सुझाव, विभिन्न प्रमाण पत्र एवं रेफरल के लिए ओपीडी में आते हैं। सर्जरी की आवश्यकता वाले मरीजों को ओपीडी से एड्मिशन के लिए वार्ड में भेजा जाता है। एड्मिशन के पश्चात आवश्यकतानुसार उनके शल्यचिकित्सा हेतु प्रक्रियात्मक सहमति ली जाती है एवं प्री-ऑपरेटिव तैयारी की जाती है। ऑपरेशन प्रक्रिया के लिए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में स्थानांतरण किया जाता है, जहां नर्सिंग अधिकारी, शल्यचिकित्सकों की सहायता करती है। ऑपरेशन के बाद मरीजों को रिकवरी वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसके बाद डॉक्टर के निर्देश पर, उन्हें अंततः वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता है / Patients suffering from various muscular skeleton system, neuro rehabilitation, diabetic and obesity, comes to OPD for treatment, suggestion, various certificate, and for referral. Patients requiring surgeries are referred to the ward for admission from OPD who are admitted, and the procedural consent, Pre-operative preparations are done. Patient are shifted to the operation theatre for Operative procedure, where nursing staff assists the operating surgeons. Post operatively patients are shifted the to the recovery ward and thereafter on the instruction from the Doctor, they are finally shifted to the ward.

(ख) मरीजों की भलाई के लिए, नर्सिंग स्टाफ विभिन्न संबंधित विभागों यानी वार्ड, एक्स रे, सोनोग्राफी विभाग, पैथोलॉजी, पीटी, ओटी, एमएसडब्ल्यू, पी एंड ओ, स्पीच और पैथोलॉजी और वीजी आदि के साथ समन्वय करता है / For the wellbeing of the patients, the nursing staff coordinates with the different respective department i.e. Ward, X ray, Sonography Department, Pathology, PT, OT, MSW, P&O, Speech & Pathology and VG, etc.

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा: रोगियों को परामर्श/मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है/ Health education: Counselling/guidance to the patients is also provided.

(घ) निदेशक की अनुमति के बाद इस संस्थान में अन्य अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ (बीएससी, जीएनएम, आरएएनएम) के लिए शैक्षिक दौरा किया जाता है / Educational Visit for Nursing Staff (B.sc, GNM, RANM) of other hospitals are undertaken at this Institute after permission from the Director.

VI. सयुक्तांग एवं ऋज्वांग / P & O DEPARTMENT:

(क) जो दिव्यांगजनों लोकोमोटर विकलांगता, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में विकृति, दर्द आदि, चयापचय संबंधी विकार, ऊपरी अंग की कमजोरी और अंग-विच्छेदन, अन्य विशिष्ट विकार जैसे की सी.पी., जी.बी. सिंड्रोम आदि से पीड़ित हैं उनको, जैसा कि ओ.पी.डी. से निर्धारित किया गया है, को सहायक उपकरण उपलब्ध (निर्माण एवं फिटिंग) कराना / Providing (Fabrication & Fitting of Aids & Appliances) to Divyangjan who are suffering from Locomotor disabilities, such as Spinal deformities, pain etc, Metabolic disorders, Upper Extremity weakness & amputations, Specific disorders like C.P., G.B. Syndrome etc. as prescribed from the OPD.

(ख) उन सभी एच.एस.सी. (विज्ञान- पी.सी.बी.) पास किए हुये छात्र जिन्होंने संबंधित वर्ष के लिए एन.ई.ई.टी. उत्तीर्ण किया है के लिए बी.पी.ओ. पाठ्यक्रम संचालित करना। इसके अलावा एम.पी.ओ. पाठ्यक्रम भी इस संस्थान में भी संचालित किए जा रहे हैं। छात्रों को विश्वविद्यालय और नियामक निकायों के निर्देशों के अनुसार प्रवेश दिया जाता है / Conducting B.P.O. Courses for all candidates who have passed H.S.C. (Science) with P.C.B. & N.E.E.T. for the corresponding year. Also MPO Courses are being conducted at this institute. Students are admitted as per the directives of University & Regulatory Bodies.

(ग) इस विभाग के संबंधित कर्मचारियों द्वारा माप, परीक्षण, फिटिंग प्रशिक्षण और अंतिम फिटिंग करके उपकरणों का निर्धारण किया जाता है तथा नाममात्र लागत पर इनकी डिलीवरी मानदंडों के अनुसार की जाती है / Prescription of Appliances are attended to by the concerned staff of this department by taking measurements, Trial, Fitting Training and Final Fitting and Delivery of it on nominal cost as per norms.

VII. भौतिकोपचार विभाग / Physiotherapy Department:

क) रोगी देखभाल सेवाएं: ओपीडी से रेफर किए जाने के बाद नागरिको फिजियोथेरेपी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं / Patient care services: Citizens can avail Physiotherapy services after being referred from OPD.

ख) शैक्षणिक सेवाएं: स्नातकोत्तर और फैलोशिप पाठ्यक्रम एमयूएचएस, नासिक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार संचालित किए जाते हैं। / Academic Services: Postgraduate & Fellowship courses are conducted as per eligibility criteria prescribed by MUHS, Nashik.

(घ) अनुसंधान: आंतरिक आचार समिति द्वारा अनुमोदित फिजियोथेरेपी से संबंधित अनुसंधान अध्ययन किए जाते हैं / Research: Research studies related to Physiotherapy approved by Internal Ethics Committee are under taken.

VIII. व्यावसायिक चिकित्सा विभाग / Occupational Therapy Department:

(क) रोगी देखभाल सेवाएं: ओपीडी से रेफर किए जाने के बाद नागरिको व्यावसायिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं / Patient care services: Citizens can avail Occupational Therapy services after being referred from OPD.

(ख) शैक्षणिक सेवाएँ: स्नातकोत्तर और फैलोशिप पाठ्यक्रम एमयूएचएस, नासिक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं / Academic Services: Postgraduate & Fellowship courses are conducted as per eligibility criteria prescribed by MUHS, Nashik. Training workshops are also held for National and International delegates.

(ग) अनुसंधान:- आंतरिक आचार समिति द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान अध्ययन किए जाते हैं / Research:- Research studies related to Occupational Therapy approved by Internal Ethics Committee are under taken.

(ङ) विशेषीकृत (विकलांग चालकों के लिए ड्राइविंग) मूल्यांकन उन दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया जाता है, जो मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग फिटनेस लेना चाहते हैं / Specialized (Driving for disabled drivers) Assessment are conducted for Divyangjan with locomotor disability who wish to undertake driving fitness for a motor vehicle.

IX. स्पीच थेरेपी विभाग / SPEECH THERAPY DEPARTMENT:-

(क) वाक् एवं श्रवण विकार वाले लोगों के लिए संप्रषण विकारों का मूल्यांकन / Evaluation of communication disorders for People with Speech and Hearing Disorders.

(ख) सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और अधिग्रहित एवं अपक्षयी भाषण समस्याओं से पीड़ित वयस्कों के लिए संप्रषण विकारों हेतु चिकित्सा / Therapy for communication disorders for Children with cerebral Palsy, Mental retardation, Autism and for Adult with acquired and degenerative speech problems.

(ग) श्रवण विकार का मूल्यांकन और श्रवण दोष एवं हानि वाले बच्चों और वयस्कों के लिए श्रवण यंत्र फिट करने हेतु सलाह / Evaluation of hearing Disorder & Advice on hearing aid fitting for Children and Adult with hearing impairment & loss.

(घ) प्रबंधन एवं घरेलू व्यायाम कार्यक्रम के संबंध में परामर्श तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी के लिए अन्य संगठनों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में रेफर करना / Counselling regarding management & Home exercise programs & Referral to other organizations, hospitals, school etc. if required, whenever for all.

X. मनोविज्ञान और व्यावसायिक मार्गदर्शन विभाग / PSYCHOLOGY AND VOCATIONAL GUIDANCE DEPARTMENT:-

(क) बौद्धिक क्षमता परीक्षण द्वारा दिव्यांग बच्चों का मूल्यांकन करना तथा उचित स्कूली शिक्षा का निर्णय देना / Assessing differently abled children with IQ testing & giving proper schooling decision

(ख) 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन करना / Vocational guidance for differently abled above 18 years.

(ग) अवसादग्रस्त और तनावग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए परामर्श देना / Counselling for Divyangjan who are depressed & stressed

(घ) मरीजों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना / Motivating and encouraging patients

XI. व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग / VOCATIONAL TRAINING DEPARTMENT:-

चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, पुनर्वास, सामाजिक और पारिवारिक हस्तक्षेप पूरा होने के बाद, दिव्यांगजन रोगियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला में सूचना/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और रोजगार के लिए भेजा जाना एवं **विकलांगता प्रमाण** पत्र जारी करना / After the Medical, Surgical, Rehabilitative, Social and Family Interventions are completed, divyangjan patients are provided Information /Training in the Vocational Training Workshop and referred for Employment & issuance of **Disability Certificate**.

(आ.) इस संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ लेने की प्रक्रिया / Procedure for availing the services provided by various departments of this Institute:-

- प्रारंभ में संस्थान में आने वाले सभी मरीजों को पंजीकरण पर्ची भरकर पंजीकरण काउंटर पर अपना पंजीकरण कराना होगा /Initially all patients coming to the Institute have to get themselves registered at the registration counter by filling the registration slips.

- इलाज के लिए नया पंजीकरण, ओ.पी.डी. के दिनों यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एवं विशेष रूप से दिव्यांग्जन के लिए केवल मंगलवार और गुरुवार को - सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे के बीच, वर्तमान में, निःशुल्क किया जाता है। हालाँकि, उपचार के बाद हर दिन फाइलों को रिकॉर्ड अनुभाग में जमा किया जाना चाहिए और संस्थान में प्रत्येक दौरे पर फाइलों तक पहुंचने के लिए मरीजों को दिए गए कार्ड प्रस्तुत किए जाने चाहिए / New Registration for treatment is done on OPD days i.e. Monday, Wednesday, and Friday & exclusively for Handicapped patient only on Tuesdays & Thursdays between - 9am to 11am, free of Cost at present. However, files are to be deposited in the Records Section after their treatment every day and Cards given to the Patients are to be produced to access the files on each visit to the Institute.

- निदान के लिए ओपीडी स्तर पर मरीजों की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो मरीजों को अन्य जाँचो के लिए भेजा जाता है। मरीजों को मेडिकल/सर्जिकल थेरेपी, सहायक सामग्री और उपकरण के लिए नुस्खे, सर्जिकल राय, सर्जरी के लिए शेड्यूल, अनुवर्ती सलाह और टीम परामर्श भी प्रदान किए जाते हैं / Examination of the patients at the OPD level for the Diagnosis & if required, the patients are sent for other Investigations. Prescription for medical surgical therapies and aids & appliances, surgical Opinions, scheduling for Surgeries, Follow- up advice and Team Consultations are also provided.

- यदि आवश्यक हो तो रेडियोलॉजी / पैथोलॉजी जांच आदि (निःशुल्क) किए जाते है / Radiology / Pathology Investigations etc - if required are done (free of cost).

- विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांगजनों की क्षीणता एवं कार्यों की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन, उनके गंभीरता के आधार पर, करने में एक से अधिक कार्य दिवस लग सकता हैं / Detailed Evaluation of Impairments and functions of Divyaangjan in the various Departments which could take more than one working day depending on the condition and its severity.
- संबंधित विभागों में हस्तक्षेप (उपचार) उसकी अवधि एवं आवृत्ति पुनर्वास डॉक्टरों द्वारा तय की जाती है / Interventions (treatment) in the respective departments and the duration and frequency are decided by the rehabilitation doctors.
- विभिन्न विभागों द्वारा नैदानिक परीक्षा के माध्यम से, प्रासंगिक उपचार और सहायक सामग्री एवं उपकरण वितरित करते हैं / Various departments deliver the prescribed therapies and aids & appliances after relevant through clinical examination.

ऑर्थोटिक / प्रोस्थेटिक उपकरणों की डिलीवरी के लिए समय-सीमा / प्रतीक्षा अवधि / Time-Frame / Waiting Period for Delivery of Orthotic/ Prosthetic Appliances:

क्र. सं./ Sr.No	उपकरण का विवरण / Description of Appliance	परीक्षण अवधि / Trial Period	अंतिम अवधि / Final Period
1	Ankle Foot Orthosis with Boots	6 हफ्ता /Weeks	6 हफ्ता /Weeks
2	Ankle Foot Orthosis with Supplied Boots 2 Weeks Boots	2 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks
3	HKAFO / KAFO with Boots	6 हफ्ता /Weeks	6 हफ्ता /Weeks
4	HKAFO / KAFO /AFO with Footplate 3 Weeks or P.S.I	3 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks
5	Knee Cage/Knee Orthosis	2 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks
6	TLSO/LSO/Body Jackets	2 हफ्ता /Weeks	1 हफ्ता /Weeks
7	Milwaukee Brace	4 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks
8	Cervical Collars/ Belts	3 हफ्ता /Weeks	3 हफ्ता /Weeks
9	Specialized Appliances	6 हफ्ता /Weeks	6 हफ्ता /Weeks
10	Below/Knee Conventional With Foot Piece	6 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks
11	PTB/PTB-SC-SP – Endo Skeletal Assembly	2 हफ्ता /Weeks	1 हफ्ता /Weeks
12	PTB/PTB-SC-SP – Wooden Type	4 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks
13	Above-Knee/ Knee Disartic with Total Contact Plastic Socket – Exoskeletal	6 हफ्ता /Weeks	3 हफ्ता /Weeks
14	Symes / Extension Prosthesis	6 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks
15	Below – Elbow Prosthesis (ALIMCO)	3 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks
16	Above – Elbow Prosthesis (ALIMCO)	4 हफ्ता /Weeks	2 हफ्ता /Weeks

पूर्व-निर्मित घटकों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उपकरण एआईआईपीएमआर द्वारा कूटरचित घटकों से बनाए जाते हैं, जिसके लिए उपकरण की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित अवधि के अतिरिक्त 2 सप्ताह की अतिरिक्त प्रतीक्षा अवधि लग सकती है / In the event of Non-Availability of Pre-Fabricated Components, Appliances are made from forged Components by AIIPMR which may incur a further waiting period of 2 weeks in addition to the period mentioned against each category of the Appliance.

ऊपर उल्लिखित ऑर्थोसिस के परीक्षण की औसत अवधि उस विशेष समय पर कच्चे माल और किट की उपलब्धता के अधीन है / Average period for trial of Orthosis mentioned above is further subject to availability of Raw Material & Kits at that particular moment.

उपर्युक्त अवधि में रविवार, सार्वजनिक अवकाश और उपकरण के उपयोग में रोगी को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है। रोगी की अनुपालना के आधार पर यह अवधि 2 से 3 सप्ताह तक भिन्न हो सकती है / The above-mentioned period is exclusive of Sundays, Public Holidays and of the time required for Training the patient in the use of the appliance. This period may vary from 2 to 3 weeks depending on patient compliance.

यद्यपि ऊपर उल्लिखित समय सारणी का पालन करने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाती है, फिर भी संस्थान उन घटनाओं (अर्थात मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं) के कारण होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं / Though every care is taken to stick to the time schedule mentioned above, the Institute is not responsible for delays caused by events (i.e. Manmade or Natural Calamities), which are beyond its control.

यह ध्यान देने योग्य है कि बच्चों और चिकित्सा प्राथमिकता वाले रोगियों के मामले में इन मानदंडों में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है / It may be pertinent to note that these norms may be relaxed at the discretion of the Competent Authority, in cases of children and patients having medical priority.

जिन रोगियों को पुनर्निर्माण सर्जरी की आवश्यकता होती है, उन्हें मामले के आधार पर तारीख दी जाती है (आमतौर पर 3 महीने से अधिक नहीं) जिसे उपकरणों की परीक्षण तिथि के साथ समन्वित किया जाता है और पूरी प्रक्रिया कम से कम समय में पूरी की जाती है / Those patients requiring Reconstructive Surgeries are given a date on a case to case basis (normally not exceeding 3 months) which is Co-ordinated with the trial date of the appliances and the entire procedure is completed within the shortest possible time.

(इ.) विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए नामांकन / Enrolment for Disability Certificate :-

यह www.swavalambancard.gov.in (UDID) साइट के माध्यम से किया जाता है और इस संस्थान के लिए पर्ची बनाने के बाद, मरीज को मंगलवार, गुरुवार को सुबह-सुबह मूल पर्ची, आधार कार्ड, मूल रूप से अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों के साथ-साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों/पिछले परीक्षण/जांच और उपचार रिपोर्ट के साथ संस्थान में जाना होता है। मरीजों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मूल्यांकन के लिए ले जाया जाता है और उसी दोपहर 3 से 4 बजे के बीच विभिन्न विभागों द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। जिन लोगों को उसी दिन समायोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अगले कार्य दिवस के लिए नियुक्ति दी जाएगी / This is done through the site www.swavalambancard.gov.in (UDID) and after generation of the slip for this Institute, the patient has to visit early morning to the Institute on Tuesday, Thursday with the original slip, Aadhar Card, all the documents uploaded in original, along with all the necessary documents/previous test/investigation & treatment reports. Patients are taken for evaluation on first come first serve basis and Certificates are issued on the same Afternoon after thorough evaluation by different departments between 3 to 4 pm. For those who could not be accommodated on the same day an appointment will be given for the next working day.

(ई.) पुस्तकालय /Library:

पुस्तकालय संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 07 बजे तक और शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक खुला रहता है। बाहरी छात्रों या अन्य कॉलेजों/संस्थानों के कर्मचारियों को संस्थान के पुस्तकालय की पुस्तकें पुस्तकालय में ही पढ़ने और संस्थान के निदेशक से अनुमति लेने के बाद पुस्तकें उधार लेने की अनुमति है / Library is open from 10.00 am to 07.00 pm on Monday to Friday & from 10.00 am to 03.00 pm on Saturday for Institute staff and student. Outside students or staff of other colleges/institutes are allowed to read books of the Institute Library in the Library itself & borrow books after taking permission from the Director of this Institute.

(उ.) हिंदी विभाग / Hindi Department :

हिंदी विभाग राजभाषा हिंदी का, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, संस्थान में प्रचार-प्रसार का कार्य करती हैं एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकाधिक कार्यालीन कार्य हिंदी में हो। हिन्दी विभाग की सेवाएँ संस्थान के कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए हमेंशा उपलब्ध रहती है, इस प्रकार यह विभाग अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के सेवार्थ कार्यरत है 1 इस विभाग के द्वारा संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित अनुवाद का कार्य किया जाता है एवं हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है / The Hindi Department promotes the official language Hindi in the Institute as per the rules of the Central Government and ensures that most of the official work is done in Hindi. The services of the Hindi Department are always available to the employees and students of the Institute, thus this department is indirectly working for the service of the people. This department translates the letters sent by various departments of the Institute and promotes the use of Hindi.